[2018] 11 एससीआर 166

मोहम्मद रफीक अब्दुल रहीम शेख

बनाम

गुजरात राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1078/2008)

सितम्बर 13, 2018

[एस. ए. बोबडे और एल. नागेश्वर राव, जे.जे.]

शस्त्र अधिनियम, *1959*– उपधारा *25(1)*(ए), *25(1*एए) सपठित धारा *35* – अधिग्रहण या कब्ज़ा, या निर्माण या बिक्री, या प्रतिबंधित हथियार या निषिद्ध गोला –बारूद का निषेध – तथ्यों पर, आरोपी ए–*1* द्वारा नशे की हालत में चलाई गई कार में कारतूस पाए गए – ए *2* कार का मालिक था – खुलासा किया गया *A1* द्वारा एक बंगले में छिपाए गए कुछ और हथियारों के बारे में, जिनमें से *A4* को रिकॉर्ड में कब्जेदार के रूप में दिखाया गया था – उस घर के तहखाने के अंदर हथियार और जिंदा कारतूस पाए गए – *A3* ने हथियारों को संग्रहीत किया था और बाद में तहखाने से *A1* को दे दिया – ए*2* और ए*4* की दोषसिद्धि *25(1)*(ए), *25(*आईएए*)* सपठित धारा *35* के तहत अपराध करने के लिए । नीचे की अदालतों द्वारा – अभिनिर्धरण की पोषणीयता*:* टिकाऊ नहीं – ए*2* के संबंध में, यह साबित करना आवश्यक है कि खोज से पहले किसी समय आरोपी के पास सचेत कब्ज़ा था और पुनर्प्राप्ति के समय उसने वस्तुओं पर नियंत्रण बनाए रखा। – जब आरोपी को पकड़ा गया तब वह न तो कार में था और न ही कार के आसपास कहीं था – ए–*2* को केवल इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि वह पंजीकृत मालिक पाया गया था – यह अभियोजन पक्ष का मामला भी नहीं है और न ही नीचे की अदालतों ने कोई निष्कर्ष दिया है कि ए –*2* कार से बरामद जिंदा कारतूसों के रचनात्मक कब्जे में था – *A2* को *25(*आईएए*)* के तहत दोषसिद्धि पूरी तरह से अनुचित – जहां तक ए*4* का संबंध है, वह लगभग तीन महीने तक घर पर कब्ज़ा या कब्जा नहीं कर रहा था क्योंकि वह हिरासत में था – इस बात का कोई सबूत नहीं है कि घर बाहर से बंद था – कमरे की खिड़की, जो तहखाने की ओर ले जाया गया, ऐसा कहा गया था कि वह अंदर से बंद था और एक लोहे का गेट था जिसमें बाहर की तरफ ताला लगा हुआ था, उसे जांचना पड़ा –अभियोजन पक्ष ए*4* के घर में पाए गए हथियारों और गोला –बारूद के ए*4* के इरादे और –चेतना को स्थापित नहीं कर सका – इस प्रकार, *A4* के पास आग्नेयास्त्रों का रचनात्मक कब्ज़ा नहीं था और दोषसिद्धि पूरी तरह से अनुचित थी।

गुणवंतलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य (1972) 2एससीसी 194 [1973] 1 एससीआर 508 – संदर्भित।

केस कानून संदर्भ:–

[1973] 1 एससीआर 508 का पैरा 20 को संदर्भित करता है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1078/2008

2004 की आपराधिक अपील संख्या 912 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 11.09.2007 से उत्पन्न।

साथ में,

2008 की आपराधिक अपील संख्या 1901

संजय जैन, सलीम, एस.एस.रावत, अपीलकर्ता के लिए अधिवक्तागण।

शुभ्रांशु पाढ़ी, सुश्री ममता सिंह के लिए सुश्री हेमन्तिका वाही, प्रतिवादियों के लिए अधिवक्तागण।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

एस. ए. बोबडे, जे. 1. इन अपीलों में अपीलकर्ता 2008 की आपराधिक अपील संख्या 1901 में सलीम शम्सुद्दीन शेख(इसके बाद ए–2 के रूप में संदर्भित) और 2008 की आपराधिक अपील संख्या 1078 में मोहम्मद रफीक अब्दुल रहीम शेख (इसके बाद ए–4 के रूप में संदर्भित) हैं। आपराधिक अपीलें क्रमशः 2004 की आपराधिक अपील संख्या 635 और 2004 की 912 में गुजरात उच्च न्यायालय, अहमदाबाद द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 11.09.2007 के खिलाफ दायर की गई हैं। वहीं, उच्च न्यायालय ने दोनों अपीलों को खारिज कर दिया है और सत्र मामले संख्या 46/1999 और 190/2000 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदाबाद द्वारा पारित दोषसिद्धि और सजा को बरकरार रखा है। ए–4 और ए–2 को शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 35 के साथ पठित धारा 25(1)(ए) के तहत किए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और तीन साल के कठोर कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई। 5000/–. ए–4 और ए–2 को शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 35 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 25 (1एए) के तहत भी दोषी ठहराया गया और सात साल के कठोर कारावास और रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। प्रत्येक को 10,000/– जुर्माना और जुर्माना अदा न करने पर छह माह की कैद भुगतनी होगी। दोनों सजाएं एक साथ चलाने का आदेश दिया गया.

तथ्य

2. दिनांक 4.2.1993 को शाम लगभग 7 बजे एक नीले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली मारुति फ्रंटी कार को कांस्टेबल मनुजी कनौजी राजपूत ने रोका। इसे नूरमहम्मद महम्मद्यासिन शेख (इसके बाद A–1) द्वारा नशे की हालत में संचालित किया जा रहा था। जाहिर तौर पर, दरियापुर पुलिस स्टेशन के एक पुलिस निरीक्षक को सूचना मिली कि ए–1 अब्दुवहाब अब्दुलमाजिद पठान (इसके बाद ए–3 के रूप में संदर्भित) के साथ मिलकर अवैध हथियारों के परिवहन के कारोबार में था और मारुति फ्रंटी कार में कुछ कारतूस हैं। इसके बाद कार की तलाशी ली गई।

3. अभियोजन पक्ष के अनुसार कार के पिछले हिस्से में स्पीकर के बगल की गुहा में छह जिंदा कारतूस पाए गए। इन कारतूसों पर 'एल.वी लंदन' नाम लिखा था और ये .45 रिवॉल्वर में इस्तेमाल के लिए थे, जो एक प्रतिबंधित बोर है। अभियोजन की बाकी कहानी इस बात से संबंधित है कि हथियार ए–4 के घर से कैसे बरामद किए गए।

आरोपी नंबर **2–** सलीम शम्सुद्दीन शेख

4. ए–2, जो कार के आसपास भी नहीं था, को सत्र न्यायालय द्वारा शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 35 के साथ पठित धारा 25(1)(ए) और 25 (1एए) के तहत सात साल की अवधि के लिए दोषी ठहराया गया है। केवल इसलिए क्योंकि वह जीसीबी 122 के रूप में पंजीकृत मारुति फ्रंटी कार का मालिक था।

5. शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25(1)(ए) इस प्रकार है:

"(1) जो कोई (ए) निर्माण, बिक्री, हस्तांतरण, रूपांतरण, मरम्मत, परीक्षण या साबित करता है, या बिक्री या हस्तांतरण के लिए प्रदर्शित करता है या पेश करता है, या बिक्री, हस्तांतरण, रूपांतरण, मरम्मत, परीक्षण या सबूत के लिए अपने कब्जे में रखता है, कोई भी धारा 5 के उल्लंघन में हथियार या गोला–बारूद; या

(बी) धारा 6 के उल्लंघन में आग्नेयास्त्र की बैरल को छोटा करता है या नकली आग्नेयास्त्र को आग्नेयास्त्र में परिवर्तित करता है; या

(डी) धारा 11 के उल्लंघन में किसी भी वर्ग या विवरण के किसी भी हथियार या गोला–बारूद को भारत में लाएगा या बाहर ले जाएगा,

उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि तीन साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"

6. शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 25 (1ए) इस प्रकार है:

"जो कोई भी धारा 7 के उल्लंघन में कोई प्रतिबंधित हथियार या प्रतिबंधित गोला-बारूद हासिल करता है, अपने कब्जे में रखता है या रखता है, उसे कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि पांच साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।"

7. वास्तव में, यह धारा उस व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान करती है जिसके पास धारा 7 के उल्लंघन में प्रतिबंधित हथियार या प्रतिबंधित गोला-बारूद है। धारा 7 निषिद्ध हथियार या गोला-बारूद के कब्जे आदि पर रोक लगाती है, इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"7. निषिद्ध हथियारों या निषिद्ध गोला-बारूद के अधिग्रहण या कब्जे, या निर्माण या बिक्री पर प्रतिबंध, कोई भी व्यक्ति--

(ए) अर्जित करना, अपने कब्जे में रखना या ले जाना,

(बी)

(सी)

8. धारा 25 (1)(ए) अनिवार्य रूप से ऐसे व्यक्ति को धारा 5 के उल्लंघन में किसी भी प्रतिबंधित हथियार या गोला-बारूद की बिक्री, हस्तांतरण आदि के लिए कब्जे में पाया जाता है, जिसे एक अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाता है, जो कम नहीं होगा तीन साल से अधिक लेकिन जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

9. ए-2 की सजा के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या उसके पास प्रतिबंधित गोला-बारूद पाया गया था: उसके स्वामित्व वाली मारुति फ्रंटी कार से छह जीवित कारतूस जब्त किए गए ।

10. हमें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि धारा 25 (1AA) के तहत इस अभियुक्त की दोषसिद्धि पूरी तरह से अनुचित है क्योंकि उसके पास प्रतिबंधित गोला-बारूद बिल्कुल भी नहीं था, बिक्री के उद्देश्य से तो बिल्कुल भी

नहीं था जो कि आकर्षित करने के लिए एक आवश्यकता है। धारा 25 (1एए) का प्रावधान. इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

"(आईएए) जो कोई निर्माण, बिक्री, हस्तांतरण, रूपांतरण, मरम्मत, परीक्षण या साबित करता है, या बिक्री या हस्तांतरण के लिए प्रदर्शित करता है या पेश करता है या, धारा 7 के उल्लंघन में किसी भी प्रतिबंधित हथियार या प्रतिबंधित गोला–बारूद का बिक्री, हस्तांतरण, रूपांतरण, मरम्मत के लिए अपने कब्जे में रखता है परीक्षण करने पर कारावास की सजा दी जाएगी, जिसकी अवधि सात साल से कम नहीं होगी, लेकिन जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

11. यह किसी की बात नहीं है कि ए–2 को कारतूसों के वास्तविक कब्जे में पाया गया था। कारतूस एक कार से बरामद किए गए, जिसे ए–1 नशे की हालत में चला रहा था। ए–2 कार के आसपास भी नहीं था। ए–2 को केवल इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि जांच के दौरान वह कार का पंजीकृत मालिक पाया गया। स्वामित्व के इस तथ्य का ए–2 द्वारा विरोध नहीं किया गया है क्योंकि उसने पंजीकृत मालिक के रूप में अपनी कार के लिए स्वयं आवेदन किया था और न्यायालय ने वास्तव में इस आवेदन को मंजूर कर लिया था।

12. सवाल सिर्फ यह है कि क्या मारुति फ्रंटी कार में मिले छह कारतूसों को ए–2 के पास कहा जा सकता है?

13. ट्रायल कोर्ट ने केवल इस निर्विवाद तथ्य के आधार पर कि ए–2 कार का मालिक है, उसे धारा 25(1)(ए), 25 (1एए) के साथ पठित शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 35 के तहत सात साल की अवधि के लिए दोषी ठहराया है। उच्च न्यायालय ने उस दोषसिद्धि को बरकरार रखा। निचली अदालतों ने यह निष्कर्ष भी नहीं दिया है कि कार से बरामद छह जिंदा कारतूस ए–2 के पास हैं। याद रखें कि जब यह आरोपी पकड़ा गया तो वह न तो कार में था और न ही कार के आसपास कहीं था।

14. अभियोजन पक्ष ने ए–2 की मिलीभगत को स्थापित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि इस आरोपी को पता था कि ए–1 कार में क्या ले जा रहा है या उसने कार में प्रतिबंधित गोला–बारूद रखा था। ए–2 की जानकारी या यहां तक कि सहमति को स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।

15. यह प्रश्न ही विचारणीय नहीं है कि क्या ए–2 का कार या कार में मिले कारतूसों पर कोई नियंत्रण था। कार के साथ ए–2 की निकटता के किसी सबूत के बिना, या उसने प्रतिबंधित गोला–बारूद ए–1 को कैसे सौंप दिया या उसने उन्हें कार में कैसे रखा, यह कल्पना करना मुश्किल है कि उसे प्रतिबंधित गोला–बारूद रखने के लिए कैसे दोषी ठहराया जा सकता था।

16. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यह नहीं कहा जा सकता कि कार से कथित तौर पर बरामद छह जिंदा कारतूस इस आरोपी के पास थे। ए- 2 के पास कब्ज़ा-वास्तविक या रचनात्मक नहीं कहा जा सकता। हो सकता कि यह हो कि A-2 एक एस्टेट सह कार ब्रोकर है जो प्रयुक्त कारों का सौदा करता है और हो सकता है कि उसने कार दे दी हो, जैसा कि उसने A-1 को अपने बचाव में दावा किया था जो इसे खरीदना चाहता था। ट्रायल कोर्ट ने इस बचाव पर केवल इस आधार पर अविश्वास किया है कि ए-2 कार का पंजीकृत मालिक बना हुआ है।

17. शस्त्र अधिनियम, 19592 की धारा 35 के तहत आरोपी की सजा को बरकरार रखना भी संभव नहीं है, जो कई लोगों में से प्रत्येक को किसी परिसर, वाहन या अन्य स्थान पर संयुक्त कब्जे/संयुक्त नियंत्रण में पाया गया है, मानो आरोपी ने अकेले ही अपराध किया हो।

18. हम यह देखने में असफल हैं कि शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 35 के तहत ए-2 की सजा कैसे टिकाऊ है क्योंकि यह अभियोजन पक्ष का मामला भी नहीं है, कि ए-1 और ए-2 संयुक्त नियंत्रण या कब्जे में पाए गए थे जिस मारुति फ्रंटी कार से प्रतिबंधित गोला बारूद बरामद हुआ था।

19. हम यह नहीं मानते हैं कि गोला-बारूद के बन्दूक का दूरस्थ स्थान या किसी दूरस्थ स्थान से बरामदगी किसी आरोपी को सभी मामलों में बरी कर देगी। लेकिन यह साबित करना आवश्यक है कि खोज से पहले किसी समय आरोपी के पास सचेत रूप से कब्ज़ा था और पुनर्प्राप्ति के समय उसने वस्तुओं पर नियंत्रण बनाए रखा।

20. गुणवंतलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य' मामले में, इस न्यायालय ने माना कि किसी व्यक्ति पर तब तक अपराध का आरोप नहीं लगाया जा सकता जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सके कि उसे इस बात की जानकारी थी कि उसके घर में किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित वस्तु मौजूद है।

"5. कुछ मामलों में शस्त्र अधिनियम, 1878 की धारा 19(1)( ) के तहत यह माना गया है कि "कब्जा" शब्द का अर्थ विशेष कब्ज़ा है और "नियंत्रण" शब्द का अर्थ प्रभावी नियंत्रण है लेकिन इससे समस्या का समाधान नहीं होता है। जैसा कि हमने पहले कहा, धारा 25(1)(ए) के तहत अपराध के लिए पहली पूर्व शर्त इरादा, चेतना या ज्ञान का तत्व है जिस से किसी व्यक्ति ने पहले आग्नेयास्त्र अपने पास रखा हो, उसे अपराध माना जा सकता है और दूसरी बात यह है कि कब्ज़ा भौतिक कब्ज़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि रचनात्मक हो सकता है, बंदूक पर शक्ति और नियंत्रण होना, जबकि जिस व्यक्ति को भौतिक कब्ज़ा दिया गया है, वह इसे रखता है। उस शक्ति और नियंत्रण के अधीन, कब्जे के किसी भी विवादित प्रश्न में, स्वीकार किए गए या सिद्ध किए गए विशिष्ट तथ्य ही नियंत्रण के वास्तविक संबंध या उस पर व्यक्ति के प्रभुत्व के अस्तित्व को स्थापित करेंगे, यह निर्धारित करने के लिए आवश्यक है कि उस व्यक्ति के पास प्रश्न में वस्तु का कब्जा था या नहीं। "

21. हम इस प्रकार मानते हैं कि सलीम शम्सुद्दीन शेख (ए–2) की सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता है और हम तदनुसार इसे रद्द कर देते हैं।

आरोपी नंबर **4**–मोहम्मद रफीक अब्दुल रहीम शेख

22. ए–4 को तब फंसाया गया जब कहा जाता है कि ए–1 ने पुलिस को बताया था कि किसी अन्य स्थान पर कुछ और हथियार छिपे हुए हैं; बंगला 19 सत्यम सोसायटी। ए–4 को दोषी बताया गया है क्योंकि अहमदाबाद नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार वह उक्त बंगले का कब्ज़ाकर्ता था।

खोज

23. दो पंचों और ए–1 की मौजूदगी में पुलिस बंगले में दाखिल हुई। यह घर एक दो मंजिला इमारत है जिसमें एक तहखाना है। पुलिस को एक खिड़की मिली, जो अंदर से बंद थी। ए–1 ने कहा कि तहखाने के अंदर पाए गए हथियार और जिंदा कारतूस ए–3 द्वारा वहां संग्रहीत किए गए थे।

24. A–1 ने आगे कहा कि A–3 ने उसे तहखाने से हथियार दिए थे। एक लोहे का दरवाज़ा तोड़ दिया गया जिसके माध्यम से पार्टी कमरे में दाखिल हुई और तहखाने में स्वचालित हथियार और कारतूस पाए गए जैसा कि ए–1 द्वारा बताया गया था। साथ ही सुनहरे बैग में एक एके–47 राइफल भी मिली। दूसरे बैग में सात कट्टे (देशी रिवॉल्वर) मिले। कताई सामग्री से बने एक अन्य बैग में सफेद धातु पाई गई।

25. पंचनामे में मिले हथियारों और कारतूसों का विवरण है। इसमें एके 47 राइफल के करीब पचास जिंदा कारतूस और 12 बोर के करीब पचास अन्य जिंदा कारतूस थे। अन्य कारतूस अलग–अलग बोर .38, 7.65 आदि के थे। हैरानी की बात यह है कि लगभग 18 फायर हुए कारतूस पाए गए हैं। सफेद धातु का तार चांदी का निकला।

26. जब्ती का विवरण इस मामले के निर्णय के लिए पूरी तरह प्रासंगिक नहीं है। ए–4 को केवल जिरह में उसकी स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी ठहराया गया है, जिसमें उसे अहमदाबाद नगर निगम के रिकॉर्ड में घर के कब्जेदार के रूप में दिखाया गया है। यह कोई विवादित तथ्य नहीं है कि ए–4, घर में मौजूद नहीं था और न ही वह बरामदगी से पहले कई दिनों तक घर में मौजूद था। वास्तव में, इसमें कोई विवाद नहीं है कि 15.12.1992–7.1.1994 तक वह जेल में थे।

27. इसलिए, जब 5.2.1993 को उनके घर पर छापा मारा गया तो वह जेल में थे। अजीब बात है कि पंचनामा में यह नहीं बताया गया है कि जिस कमरे से तहखाने की ओर ले जाया गया, जहां से हथियार बरामद किए गए थे,

वह भी बाहर से बंद था। यह रिकॉर्ड करता है कि जिस खिड़की से संभवतः प्रवेश किया गया था वह अंदर से बंद थी। यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि लोहे के गेट पर ताला ए–4 द्वारा लगाया गया था।

28. जाहिर है, ए–4 ने अपनी हिरासत की तारीख यानी 15.12.1992 से यानी छापेमारी होने से लगभग तीन महीने पहले इस घर पर कब्जा नहीं किया था। ए–4 निश्चित रूप से हथियारों के वास्तविक कब्जे या यहां तक कि उस घर में नहीं पाया गया जहां हथियार और गोला–बारूद पाए गए थे।

29. गुणवंतलाल (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने पैरा 5 में कहा है कि:

"5, **** धारा 25(1)(ए) के तहत अपराध के लिए पहली पूर्व शर्त इरादे, चेतना या ज्ञान का तत्व है जिसके साथ किसी व्यक्ति के पास बंदूक होने से पहले यह अपराध माना जा सकता है और दूसरी यह कि कब्ज़ा भौतिक कब्ज़ा होना आवश्यक नहीं है, लेकिन यह रचनात्मक हो सकता है, जिसमें बंदूक पर शक्ति और नियंत्रण हो, जबकि जिस व्यक्ति को भौतिक कब्ज़ा दिया गया है वह इसे उस शक्ति और नियंत्रण के अधीन रखता है।"

30. आरोप लगाने के लिए अभियोजन पक्ष के लिए ए–4 के घर में पाए गए आग्नेयास्त्रों और गोला–बारूद के ए–4 के इरादे और चेतना को स्थापित करना स्पष्ट रूप से आवश्यक था। ऐसा नहीं किया गया। लेकिन अगर कोई इस पर विचार करता है कि क्या ए–4 रचनात्मक कब्जे में था तो भी आरोप और दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। क्योंकि, रचनात्मक कब्जे की खोज पर विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि या तो इस बात का सबूत हो कि अभियुक्त ने हथियार रखे थे या कम से कम उस घर पर उसका नियंत्रण था जिसमें वे पाए गए थे।

31. इस मामले में, कथित संलिप्तता से संबंधित एकमात्र सबूत अभियुक्त का कहना ही है कि उसका लगभग तीन से घर पर कब्जा नहीं था, क्योंकि वह हिरासत में थे। अजीब बात यह है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि घर बाहर से बंद था। बताया जाता है कि कमरे की खिड़की, जो तहखाने की ओर जाती थी, अंदर से बंद थी। इसके अतिरिक्त, एक लोहे का गेट जिसके बाहर ताला लगा हुआ था, उसे तोड़ना पड़ा। हम इन परिस्थितियों में उन आग्नेयास्त्रों के रचनात्मक कब्जे की सजा को बरकरार रखना अत्यधिक अनुचित मानते हैं जिनके साथ ए–4 का कोई संबंध या नियंत्रण नहीं दिखाया गया है।

32. तदनुसार, हमने शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 35 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 25 (1) (ए) और 25 (1ए) के तहत मोहम्मद रफीक अब्दुल रहीम शेख (ए –4) की सजा को रद्द कर दिया। चूंकि अभियुक्त जेल में थे, यह मानना संभव नहीं है कि शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 35 के अनुसार वह घर पर संयुक्त कब्जे में था।

33. तदनुसार दोनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं।

अपील की अनुमति दी जाती है।

Translated By:

Rang Nath Tripathi

Advocate